



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1941 (श10)

(सं0 पटना 967) पटना, बुधवार, 21 अगस्त 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2019

एस०ओ० 352, दिनांक 21 अगस्त 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस० ओ० 15 दिनांक 15 जनवरी, 2019, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 51 दिनांक 15 जनवरी, 2019, द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के स्थान पर "(i) श्री हरीश कुमार, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं सी० एक्स०, पटना-1" अंक और शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-6) 2466)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 अगस्त 2019

एस०ओ० 352, दिनांक 21 अगस्त 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017 (खंड-6) 2466)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 352, dated 21st August 2019— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 15, dated the 15th January, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 51, dated the 15th January, 2019, namely:-

In the said notification, for serial no. (i), the figure and words "(i) Shri Harish Kumar, Joint Commissioner, CGST & CX, Patna-1" shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-6) 2466)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 967-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>